मधुकांत Interview

सुभाष भटनागर :— मधुकांतजी संक्षेप में हम आपको बताना चाहते है कि National Labour Institute के तरपफ से जो नैशनल कैम्पन कमिटी के जो अनूभव रहे है, जो लोग उसमें शामिल रहे है। उनके reflection जो है, उनका रिकॉर्ड करना चाहते है। आप निर्माण के जो प्रोजेक्ट या construction workers के साथ उसमें शुरू से शामिल होते रहे है, और आप लोगो ने Trade Union भी बनाया था। तो हम आपके reflection आपके तरपफ से सुनके आपकी भाषा मे रिकॉर्ड करना चाहते है कि आप कैसे इस कैम्पन में involve हूये, कैसे निर्माण मजदूरो को involve किया और आपका इस कैम्पन में शामिल होने का क्या अनुभव रहा है। और इस कानून के पास होने के बाद आपको क्या लगा, और आपके ट्रैड यूनियन के आंदोलन में किस तरह से प्रगती हूई।

मधुकांत :— मेरा नाम मधुकांत है, 1987 से मैं कॉलेज ऑपफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था । तब 1984 की स्कीम के उपर चर्चा चल रही थी, उस चर्चा से मैं जुड़ा हूँ। तब से लगा के अबतक मैं construction worker's के बीच में काम करू। Basically जो construction workers को जो बम्बई मे जो भाग हुआ था। वो N. C. C.- C. L. के बनने के पहले V. R. Krishna Iyer जी की construction workers के उपर Challenge and Response इस meeting's से बम्बई में हमारी शुरूवात हूअी थी। उसी के बाद हमने बम्बई से construction workers को इकट्ठा करना शुरू किया। और 1990 के समय में हमने construction workers की अध्किृत तरीके से Union Form की, उसके पहले हम उनको अलग–अलग युनियनों के सदस्य बनाया करते थे। अपनी खूद की युनियन नही थी। 1990 के दशक में हम जब सोच रहे थे, तब हमे लगा कि लड़ाई तो करनी है, लेकिन कानून नहीं है। कैसे हम लड़ाई करे, हमारी कुछ समझ नही बन रही थी। लेकिन Campaigning ने जो पूरे देशभर में जोर लगाया था। उससे हमारी समझ बनी उसी के आधर पर हम बम्बई में इस कानून की मांग कर रहे है, जो 1996 में जाकर पास हुआ। बिच समय में तो कापफी ऐसा होता था कि बस लोग कहा करते थे कि युनियन तो ठिक है लेकिन यह कानून तो बनने वाला नही है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आऐ है झूठा वादा करके निकल गये है लेकिन जब 1996 में कानून बना तो हमारा हौसला बुलंद हो गया, इस प्रक्रिया जो हमने साथ दिया उसमें सुभाष भटनागर जी, सुब्बुजी, स्वामी जी और गीता जी यह जो सिनियर लिडर थे, उनकी प्रेरणा से बम्बई से हमने संगठन बनाया और कापफी Campaigning की है। निर्माण मजदूरो का बिल पास होने के बाद जो सब से

बड़ी जीत हमने हासील की है कि हमारे काम पर संगठन पर लोगो का भरोसा बढ़ गया है। लगातार बम्बई में अलग–अलग जन–सुनवाई की है। अलग – अलग स्तर पर हमने सर्वे किया है। बम्बई में जो नाका मजदुर है उनका सर्वे हमने 1992 में किया । राज्य सरकार के साथ हमारा अच्छा सम्पर्क बना था उसी दौरान जब 1996 कानून बना, दबाव मे आकर महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए उन्होने जल्दबाजी में सुरक्षा के ऊपर Notification जारी किया लेकिन उसमें रोजगारी की नियमत्ता को लेकर कूछ भी जरूरी बाते की और न ही वैलपफेयर के बारे में उसमें कुछ Provision था। वह एक धेखाध्ड़ी था। जिससे निर्माण मजदूरो को ऐसा लग रहा था कि इससे हमारा कूछ भी भला होने वाला नही है। उसका हमने विरोध किया और वह अभी भी Pending है लेकिन महाराष्ट्र में उसके ऊपर जो expert committi बनाई इस कमेटी ने एक तरह से मलमा चढ़ा दिया कि हमने construction workers के लिए अच्छी Notification निकाली है। खास बात यह है कि N. C. C. - C. L. ने जो Campaigning देशभर में चला रखी थी, पूरे देश भर के लोगो को जोड़ रखा था। यह हमारे लिए सबसे पफायदेमंद साबित हुआ था Signature campaigning कहें तो या मोर्चा निकालना है, दिल्ली में बड़े–बड़े ध्रने देने है उन सारो में हम निर्माण मजदूर संगठन के तरपफ से हम शरीक हुए है है। और यही उम्मीद कर रहे है कि महाराष्ट्र में इस तरह का कानून जों दिल्ली में बनाया है, N. C. C. - C. L. कि और उन्होनें अपनी बहुत मेहनत जताई है। उसी तरह से बम्बई में हम कानून की मांग कर रहे है।

सुभाष भटनागर :– मैं दो चीजे आपसे पिफर पूछना चा रहा था, वह रिकॉर्ड में आने को रह गई है, पहली बात तो आप लोगो को बम्बई से शामील होना था उसमें निर्मला निकेतन, कॉलेज ऑपफ सोशल वर्क के निर्माण प्रोजेक्ट का क्या रोल रहा और उस प्रोजेक्ट के अतंर्गत अलग–अलग समय पर जो Co-ordinator आते रहे उनके साथ आपके कैसे अनुभव रहे, उनकी तरपफ से आपको किस तरह का interven मिलता था इसमें शामिल होने का।

मधूकांत :– 'निर्मला निकेतन कॉलेज ऑपफ सोशल वर्क यह तेरे लिए बहुत ही सही मुकाम था। क्योंकि मैं जान सकता था कि 'निर्माण मनजदूरों की संगठन चलाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है । एक सर्वे करना होता है, उनके अहम मुद्दो पर पहूंचना होता है । इसके लिए आपको cmmittment देनी पड़ती है। तो वहाँ खास करके निर्माण मजदूर संगठन के बारे में जो समझ बनी है वह यही बनी कि हम लोगो को मजदूरो के गंभीर सवाल को अगर सिखना है तो उनके बीच में जाना होगा उनका अध्ययन करना होगा कि जो जिवित का सवाला है

उसको गहराई से समझना पड़ेगा हमने College of Social Work में माध्यम कई सारी साईट्स पर बालवाड़ी चलाई Vocational Training चलाए उनके राशन कार्ड के जारी के लिए और सिपर्फ यही नही जो उनके जो न्युनतम वेतन का सवाल था, उस सवाल को लेकर भी हमने सरकार से कापफी Struggle किया है। इस काम के अंदर हमारी सबसे पहले जो डायरेक्टर थी उनका मेरे काम में बहुत सहयोग था। जिसमें मैं struggle की बात कर रहा था उस Struggle के लिए वह हमेशा तत्पर रहती थी। वह समझती थी कि लड़ना ही हमारे मजदूरो के लिए आवश्यक है उसके बगैर कुछ नही मिलता यह प्रेरणा देने के लिए जो व्यक्ति थी वह थी वर्षा पण्डित। इस के बाद इस प्रोजेक्ट में बिखराव सा आ गया तकरीबन हम लोगो ने 7–8 महीने एक साथ काम किया । हम दोनो में झगड़ा होता था, तकरार होती थी लेकिन वह किसी कारण के लिए थी। उनके जाने के बाद जब यह प्रोजेक्ट दूसरे को दिया गया तो हालात ऐसे हूऐ कि जो व्यक्ति आया जिसको यूनियन के बिच का Background नही है। मजदूरो के बीच में काम करने का Background नही है। ऐसे व्यक्ति जो आते चले गये उससे लोगो मे committment नही दिखाई दी, और वह committment ना होने की वजह से आने–जाने वाला ताता लगता रहा । जब सोशल वर्कर बदलते रहे है तब–तब डायरेक्टरस भी बदलते रहे है जो struggle का मामला था वह उठाया नही जा रहा था। तो उस वजह से यह सिपर्फ एन. जी. ओ. टाईप के काम मैं नही कर पाऊंगा मुझे struggle में भी रहना है। हमारी Struggle की वजह से कॉलेज ओपफ सोशल वर्क के ऊपर कापफी दबाव आता था। क्योंकि की कॉलेज को निदक या UGC जो UGC के fund के ऊपर कापफी असर होने लगा जो कॉलेज ने कहा युनियन को Independent कर लिजिए । उसके चलते हमने इस युनियन को Independent कर दिया ।

सुभाष भटनागर :– मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने मुझे rules की कोपी दी थी लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बाद मे वह Notify नही की तो उस पर आपको क्या कहना है, यह प्रक्रिया क्यों रूक गई और अब क्या संभावनाये है।

मधुकांत :– हकीकत यह है कि जो committee बनी थी उसमें निर्माण मजदूर संगठन के तथा युनियन सेक्टर वर्कर के जो लोग थे उनसे बात चित हूई थी। जिसमें मालिक मजदूर संबध था। 8 घंटे का काम, रविवार की छूट्टी इस तरह से जो युनियन सेक्टर के लोग है उन्हे सामने रखकर बनाई थी। ओर उस वक्त नाके पे खड़े रहने वाला मजदूर है। या इस तरीके का मजदूर जो दिहाड़ी के लिए कही पे भी काम के लिए चला जाता है ।

इन मजदूरों के बारे में इन Expert committee ने नही सोचा, आखिर ने expert committee अपनी राय दे दी लेकिन हमे वह किसी भी तरीके से निर्माण मजदूरों के लिए लाभदाय महसुस नही हूई। इस तरीके से कोई भी योजना नही बनी, Notification भी बना वही सुरक्षा को लेकर बना । इसमें मे भी जो कूछ देना था वह दिखावावा था, किस तरह से महाराष्ट्र राज्य वैलपफेयर राज्य है। हमने उसकी खिलापफत की और जो चा रहे है Construction Worker का जो N. C. C. - C. L. ने ड्राफ्रट किया हुआ कानून था जो बाद में एक्ट के रूप में बदल दिया गया सभी राज्यों में लागू करने के लिए एलान कर दिया गया उसको अभी तक महाराष्ट्र में लागू नही किया गया जो कि आठ राज्यों में यह पहले ही लागू हो गया कई उसकी तैयारी हो गई हो लेकिन महाराष्ट्र में यह स्वीकारा नही गया है। हमारी कोशिश यह है कि 22 नवंबर के दिन बम्बई मे तीन विभागो से हम बहुत बड़ी रैली निकालेगें। इस रैली में खासकर के हम तीन चीजों की माँग कर रहे है। पहली बात जो हम माँग कर रहे है कि जो कल्याण एवं रोजगार का मुद्दा है, दुसरी माँग हम construction worker board की माँग कर रहे है जो displacement हो रहा है। वह रोका जाए, उसको भी Rehabitate किया जाये । और तीसरा मुद्दा है जो हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, की जो मजदूरों को बम्बई से भगा रहे है तो हम उनके लिए शहरी रोजगार योजना की माँग करे है। क्योंकि ये सारे मजदूर ग्रामीण इलाकों से शहर में आकर बसे हुए है। जो हम यह तीन मुद्दो को लेकर बोम्बे के तीन इलाकों से रैली निकाल रहे है। और हमारा जो सोशल सुरक्षा को जो मुद्दा है वह इस बोर्ड में है।

सुभाष भटनागर :– मेरा जो आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र मे जो राज्य स्तर की युनियनें है सेन्ट्रल युनियनों की राज्य कमिटीया है और खास करके कॉमरेड सुंदर नवलकर की जो युनियन है। जिसका शुरू मे बहुत विरोध रहा था की हम लोगों की concept ही अलग है उनका क्या रूख है।

मधुकांत :— सुदंर नवलकर का तो आज भी मानना यह है कि इस बोर्ड से कुछ लेना देना नही है। बोर्ड तो बन गया है, ठिक है लेकिन दूसरी बोर्ड की तरपफ उंगली उठाकर कहते है कि वह बोर्ड कैसे चल रहा है। कितना बोर्ड में भ्रष्टाचार है, तथा वह कार्य सही नही कर रहा है। तो आप ही बताइऐं की वह कार्य कैसे करेगा। उस तरीके के जो Negative approach है मेरे ख्याल से वह सही नही है । कई meeting में हम उनको बुलाते भी है। हमने जन सुनवाई भी की जिसके तहत हमने 500 मजदूरों को साथ में लाये । और उसमें भी हमने कहा था की सोशल सुरक्षा का जो मुद्दा है वह रोजगार नियम में ही है। तो उसके लिए बोर्ड लागू ही होना ही चाहिए।

राज्य स्तर पर जो युनियन काम कर रही है उनका तर्जूबा यह रहा है कि वह Organised Sector में ज्यादा काम कर रही है। और जो बाहरी इलाके है। ग्रामीण इलाकों में उन्होनें मजदूरों को इकट्ठा करके ग्रामीण रोजगार का काम किया है। नाके पे खड़े रहने वाले मजदूर है उनके बीच में काम करना शुरू कर दिया है लेकिन वह पकड़ नही जमा पा रहे है खासकर के यह कहा जाए तो अच्छा होगा कि निर्माण मजदूरों के बीच में काम करने की जिद उनके बीच में नही है। संगठन खर्चा ज्यादा होता है इसलिए वह इस मुद्दे से सहमत है कि लेकिन हम जैसे छोटे संगठनों को स्वीकार नही कर पाते।